

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला- बस्तर (छ0ग0)
मैनुअल पद्धति निविदा सूचना


क्रमांक 1309.....का0पा0अ0 / ज0प्र0शा0 / न0पा0नि0 / 2023

जगदलपुर, दिनांक 28/06/2023

नगरपालिक निगम, जगदलपुर की जलप्रदाय शाखा अतंगत चांदनी चौक के समीप कोटोभाटापारा महारानी वार्ड जगदलपुर में स्थित 36 टवार्टर की जगह खसरा नं0 12/2 रकबा 1.17 एकड़ पर जल आपूर्ति पाईप लाईन शिफ्टिंग कार्य संपादन हेतु इच्छुक संस्थानों से फार्म "A" में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा दिनांक 31/07/2023 को अपरान्हः 05.00 बजे तक मुहरबंद मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।


क्र.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की अवधि
1	पाईप लाईन शिफ्टिंग कार्य।	Rs-48.95 Lacs	Rs-1.00 Lacs	Rs-1500.00	अनुबंध संपादन उपरांत वर्षभर अनुसार

प्राप्त निविदायें दिनांक 01/08/2023 को पूर्वान्हः 11.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से जारी नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र (फार्म "सी"), विस्तृत नियम तथा शर्तें एवं सामग्रियों का विस्तृत विवरण नगरपालिक निगम, जगदलपुर की विभागीय वेबसाईट www.nagarnigamjagdulpur.in एवं <http://uad.cg.gov.in> तथा Potal (<http://eproc.cgstate.gov.in/offline-Tender>) से निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि/समय के एक कार्यालयीन दिवस पूर्व तक डाउनलोड/अवलोकित कर निविदा में भाग लिया जा सकता है।


कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 28/06/2023

पृ0 क्रमांक 1310..... का0पा0अ0 / ज0प्र0शा0 / न0पा0नि0 / 2023
प्रतिलिपि :-

- मान0 महापौर/अध्यक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- मान0 राभापति, ज0प्र0शा0, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- नेता प्रतिपक्ष, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- संपादक.....दैनिक समाचार पत्र रायपुर/जगदलपुर की ओर संप्रेषित कर लेख है कि, कृपया आपके समाचार पत्र के आगामी अंक में मात्र एक बार न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर इस पत्र की छायाप्रति एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 3 प्रतियों सह देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
- सूचना फलक:- मुख्य कार्यालय/लोक निर्माण शाखा कार्यालय/जलप्रदाय शाखा कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर में चस्पा हेतु।
- प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. नया रायपुर की ओर संचालनालय के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु अग्रपिठ।
- प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- श्री सुमित महापात्र, जनसंपर्क, नगरपालिक निगम, जगदलपुर की ओर शासन के निर्देशानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने हेतु तीन-तीन प्रतियों में प्रेषित है। समाचार पत्र में प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की दो-दो प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे


कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम, जगदलपुर

कार्यालय नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला- बस्तर (छ0ग0)
विस्तृत निविदा विज्ञप्ति

निविदा क्रमांक ...1309... का0पा0अ0 / ज0प्र0शा0 / न0पा0नि0 / 2023

जगदलपुर, दिनांक 28/6/23


निविदा से संबद्ध कार्य का विवरण एवं नियम तथा शर्तें

1	निविदा प्रपत्र स्पीड/रजिस्टर्ड डाक द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि/समय	दिनांक 31/07/2023 सायं 05.00 बजे तक
2	प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि/समय	दिनांक..... 01/08/2023 अपरान्ह 11.30 बजे

1	पाईप लाईन शिफ्टिंग कार्य।	Rs-48.95 Lacs	Rs-1.00 Lacs	Rs-1500.00	अनुबंध संपादन उपरांत वर्षभर अनुसार
---	----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---

टीप :-

- निविदा प्रपत्र कार्यालय से जारी नहीं किया जावेगा। निर्धारित निविदा प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें नगरपालिक निगम, जगदलपुर की वेबसाईड www.nagarnigamjagdalpur.in एवं <http://uad.cg.gov.in> तथा Potal ([http://eproc.cgstate.gov.in/offline Tender](http://eproc.cgstate.gov.in/offlineTender)) से निविदा जमा करने के अंतिम तिथि / समय के एक कार्यालयीन दिवस पूर्व तक डाउनलोड किया जा सकता है। धरोहर राशि का एफ. डी. आर. तथा निविदा प्रपत्र शुल्क रु. - 1500.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो की आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर के पक्ष में देय हो निविदा सह निर्धारित लिफाफा "A" के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- नियम एवं शर्तों का पूर्ण अवलोकन करने उपरांत ही निविदा में सम्मिलित होंगे।


कार्यपालन अभियंता
नगरपालिक निगम
जगदलपुर

कायालय, नगरपालिक निगम, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)


“शर्तें ”

1. निविदा दरें प्रचलित एस0ओ0आर0 से कम या अधिक का उल्लेख किया जावें। एस0ओ0आर0 के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. नॉन एस0ओ0आर0 आयटम का दर डी0पी0आर0/प्राक्कलन में उल्लेखित दर से अधिक दर प्राप्त होने पर बी0ओ0क्यू0 में उल्लेखित दर से भुगतान किया जावेगा तथा कम दर प्राप्त होने पर निविदा दर से ही भुगतान किया जावेगा।
3. धरोहर (अमानत) राशि FDR/TDR में जमा करना अनिवार्य होगा जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो तथा आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर के पक्ष में देय हो।
4. चेक लिस्ट में उल्लेखित समस्त दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक, कार्यालय नगरपालिक निगम, शांती नगर वार्ड, बस स्टैण्ड रोड, जगदलपुर में प्राप्त होना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को रु. 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर में संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. न्यूनतम दरदाता को स्वीकृति उपरांत 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर प्रस्तुत करने पर अनुबंध उपरांत कार्यादेश जारी किया जावेगा।
7. निविदा खोलने की तिथि एवं समय पर ठेकेदार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि अधिकार पत्र के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में निगम द्वारा निविदा खोली जावेगी, जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
8. निर्माण कार्य समाप्ति उपरांत ठेकेदार को स्थल की पूर्ण सफाई कराया जाना आवश्यक है। इस आशय का प्रमाण पत्र निगम के स्वच्छता अधिकारी से प्रस्तुत करने पर ही अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
9. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र ए में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कटौति/दण्ड/कार्यावाही की जावेगी जो ठेकेदार को मान्य होगा।
10. जिन ठेकेदारों द्वारा नगरपालिक निगम, जगदलपुर के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगरपालिक निगम, जगदलपुर के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
11. प्रथम देयक के पूर्व बैद्य श्रमीक पंजीयन की सत्यापित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही ठेकेदारों को इपीएफ पंजीयन करायी जाकर श्रमिकों को इपीएफ की राशि जमा कराया जाना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्य में संलग्न श्रमिक ठेकेदार के नियोक्ता होंगे।
12. निविदा में सम्मिलित होने वाले निविदादाताओं को चेक लिस्ट में कंडिकानुसार एवं क्रमानुसार प्रपत्र एवं अभिलेख को सिस्टम टेण्डर में अपलोड करने के उपरांत अमानत राशि का जमा की पावती एवं अन्य प्रपत्र की मूल प्रति को स्केन कर सिस्टम टेण्डर में अपलोड कराना अनिवार्य होगा, सिस्टम निविदा में अपलोड न हाने की स्थिति में उनके निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. प्रत्येक देयक से 05.00 प्रतिशत सुरक्षा राशि एवं 02.00 प्रतिशत आयकर, 2.00 प्रतिशत एवं 01.00 प्रतिशत उपकर राशि या समय-समय पर शासन द्वारा संशोधन अनुसार निर्धारित राशि की रोकी/कटौती की जावेगी।
14. निविदा प्रपत्र अहस्तातरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. निविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने के स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
17. अन्य सूचनाएं नगरपालिक निगम, जगदलपुर कार्यालय जल प्रदाय शाखा में प्राप्त की जा सकती है।
18. बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा।
19. निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के मजदुरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा तत्समय कलेक्टर, जिला बस्तर द्वारा निर्धारित दर पर बैंक में खाता खोल कर आर.टी.जी.एस के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। तथा ईपीएफ की राशि (नियोक्ता अंशदान+कर्मचारी अंशदान की राशि) प्रतिमाह संबंधित के खाते में जमा कराया जाना निविदादाता की स्वयं की जिम्मेदारी है।
20. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरें छः माह तक मान्य रहेगी।
21. सिस्टम निविदा के बी.ओ.क्यू. में उल्लेखित/दर्ज आयटम के दर, यूनिट या किसी प्रकार की त्रुटी होने पर मूल प्राक्कलन में उल्लेखित अनुसार ही भुगतान की जावेगी जो ठेकेदार को मान्य होगा।
22. निविदा प्रपत्र ए निविदा सूचना एवं नियम शर्तें, अनुबंध का एक भाग होगा।

23. निविदादाताओं को छत्तीसगढ़ क्रय नियम, लोक निर्माण विभाग कार्य मैनुअल एवं समय समय पर शासन एवं नगरपालिक निगम, जगदलपुर द्वारा जारी आदेश एवं दिशा निर्देशों का पालन कराना अनिवार्य होगा।
24. ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर प्रत्येक कार्य के लिए साईट इंजीनियर रखना अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर कार्य स्थल पर कार्य चलते समय बोर्ड प्रदर्शित करना होगा जिसमें कार्य का नाम, योजना, तत्समय निर्धारित मजदूरी की दरें, मानव दिवस, संबंधित उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता आयुक्त का नाम सामग्रियों की मात्रा तथा कार्य की लागत कार्य प्रारम्भ दिनांक एवं कार्य की समयावधि कार्य पूर्ण करने का दिनांक का उल्लेख होना अनिवार्य है, साथ ही कार्य का विडीयोग्राफी की किया जाना अनिवार्य है।
26. निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्टऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो आयुक्त नगरपालिक निगम के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
27. दर समस्त करों सहित होना अनिवार्य है, पृथक से किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. कार्य संपादन/सामग्री प्रदाय उपरांत सफल परीक्षण किये जाने के बाद ही भुगतान देय होगा।
29. निविदा क्रमशः A,B तथा C की तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जानी होगी। तीनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर प्रस्तुत किये जाने होंगे। बड़े लिफाफे में डाले जाने वाले लिफाफों पर लिफाफा क्रमांक— (A,B,C) , निविदा क्रमांक, निविदा दिनांक तथा खोले जाने की तिथि अंकित कर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को प्रेषित किया जाना होगा। लिफाफा "A" में धरोहर राशि से संबद्ध F.D.R., लिफाफा "B" में नियम तथा शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र तथा लिफाफा "C" में निविदा प्रपत्र डालकर सभी लिफाफे मुहरबंद कर प्रस्तुत किये जाने होंगे। तीनों लिफाफे क्रमशः खोले जावेंगे। किसी लिफाफे में वांछित दस्तावेज प्राप्त न होने पर आगे क्रम के लिफाफे नहीं खोले जाकर निरस्त किये जावेंगे। लिफाफे निविदाकार अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित तिथि तथा निर्धारित समय पर खोले जावेंगे। निविदा खोले जाने की पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
30. सक्षम श्रेणी ठेकेदार पंजीयन का प्रमाण पत्र।
31. जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र।
32. पेन कार्ड की छायाप्रति।
33. साझेदारी फर्म हों तो उसका प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशीप डीड की प्रति।
34. धरोहर (अमानत) राशि FDR/TDR की मूल प्रति जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हो तथा आयुक्त नगरपालिक निगम, जगदलपुर के पक्ष में देय हो।
35. रू. 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर में संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
36. सक्षम अधिकारी (कार्यपालन अभियंता से कम नहीं) से अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें— एक वर्ष में एक काम जिसकी लागत 25 लाख या अधिक हो कार्य पूर्णता सहित अथवा 3 साल में 50 लाख 03 काम मिलाकर कार्य पूर्णतः सहित का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य।

नोट:-

उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय /स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जायें।


 81 कार्यपालन अभियंता
 नगरपालिक निगम,
 जगदलपुर